राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज –।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1462 / 2015 / 13940 11 दिनांकः 08.12.2015

श्री केदार नाथ गोयल,
टी–21–ए, बुध विहार फेज–।,
15 फुट गली, रोहिणी के पास,
दिल्ली–110086.

उप निदेशक (राजस्व)उ0 / उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री केदार नाथ गोयल, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 24–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 08.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री केदार नाथ गोयल, उपस्थित हुए एवं श्रीमती सरोज विमल, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0प0)–।।, रोहिणी जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुईं ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 23.06.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 24.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है । किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि सहायक जनसूचना अधिकारी ने प्रश्न संख्या 3, 7, 8, 9 और 12 के उत्तर की गलत सूचना प्रदान की । सहायक जनसूचना अधिकारी व जनसूचना अधिकारी ने जवाब देते समय आर0टी0आई0 के नियमों का उल्लंधन भी किया है और गलत भाषा का प्रयोग किया है जैसे **ऐसा सम्भव नहीं है** । अतः सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की पुनः जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए और उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें ।

अपीलकर्ता को यह भी सलाह दी गई कि अगर उन्हें कोई अन्य शिकायत है तो अलग से एक शिकायत निदेशक (सतर्कता), दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में दें, उसकी नियमानुसार जांच की जाएगी ।

6406
14/12/15

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0/–
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री केदार नाथ गोयल, टी–21–ए, बुध विहार फेज–I, 15 फुट गली, रोहिणी के पास, दिल्ली–110086.
2. उप निदेशक (राजस्व) उ0/उ0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0प0)–II, रोहिणी ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

21.12.15
AE(EM)
Sh. Sanjay

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी